

पत्रांक :-3/यो01-12/2025 (उ0शि0) 117/945

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/08/2025 /

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में Jharkhand State Faculty Development Acedemy (JSFDA) के क्रियान्वयन हेतु 05 वर्षों के अंतराल में बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रुपये) मात्र के विरुद्ध प्रथम वर्ष के लिए बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग -

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 233 दिनांक 09.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 115/बजट दिनांक 26.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में Jharkhand State Faculty Development Acedemy (JSFDA) के क्रियान्वयन हेतु 05 वर्षों के अंतराल में बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रुपये) मात्र के विरुद्ध प्रथम वर्ष के लिए बीज धन (Seed Money) की राशि रु0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, उपशीर्ष- BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203102BU000679) (स्कीम कोड-2172) के अंतर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं कार्यपालक निदेशक उक्त राशि को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 115/बजट दिनांक 26.08.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

Gaur
28.8.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-12/2025 (उ0शि0) 117/945/रॉची, दिनांक- 28/08/2025

प्रतिलिपि —महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gaur
28.8.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-12/2025 (उ0शि0) 117/945/रॉची, दिनांक- 28/08/2025

प्रतिलिपि —विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची/प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gaur
28.8.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

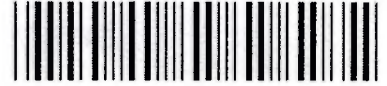
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-12/2025/117/BUDGET

दिनांक - 28-Aug-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BU000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BU - झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् हेतु सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	56000	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	60,000,000.00 रुपये छः करोड
	State Scheme :	GRANT-IN-AID TO JHARKHAND HIGHER EDUCATION COUNCIL(2172)		
	Central Scheme :	NA		



योग:

रुपये छः करोड

Sudhir Bara

60,000,000.00

क्रमिक योग:

(SUDHIR BARA)

DIRECTOR

